

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर प्रदेश

टॉवर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002  
संख्या:18-आशु0 (वरिष्ठता)-2025

दिनांक:लखनऊ:सितम्बर 24, 2025

**आदेश**

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(41)-2025 दिनांक 16.09.2025 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 43 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उपयुक्त पाये गये 43 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में दिनांक: 31.08.2025 तक पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) की 24 रिक्तियां विद्यमान हैं, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 19 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह सितम्बर-2025 से जून-2026 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) की रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

2. उक्त के दृष्टिगत अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के क्रमांक 01 से 24 पर अंकित कर्मियों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	ज्ये० क्र०	पी०एन०ओ०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	115022283	श्री सुनील कुमार राय	श्री बृजन राय	02.08.1978	CID LKW	2025
2	4	112153221	कुं० मुमताज जहाँ	स्व. इतायत अली	06.12.1982	CID LKW	2025
3	5	112514802	श्री विकास कुमार	श्री उत्तम प्रकाश	07.12.1990	34BN	2025
4	6	112495653	श्री विकास कुमार	स्व० श्री नेम सिंह	02.05.1989	PTS JLN	2025
5	7	112441832	श्री गौरव कुमार तिवारी	चन्द्र शेखर तिवारी	15.08.1990	PTS JLN	2025
6	8	121040015	श्रीमती उषा यादव	स्व० रूम सिंह	05.07.1989	BRA ACADEMY MDD	2025
7	9	122620041	श्री अश्वनी कुमार राव	स्व० ब्रम्हा राव	02.02.1989	GRP GKR	2025
8	10	120670015	श्री पियूष पाण्डेय	स्व० शिवशंकर पाण्डेय	20.04.1984	EPH	2025
9	11	122320114	श्री अवनीश कुमार	स्व० राम नगीना	02.05.1987	GDA	2025
10	12	122320127	श्री धर्मेन्द्र यादव	स्व० चन्द्रशेखर	15.07.1991	KSN	2025
11	13	122320101	श्री अफजाल आलम खॉ	स्व. गयास आलम खॉ	06.06.1992	DOA	2025
12	14	120530034	श्री आदित्य कुमार सिंह	स्व. राणा प्रताप सिंह	05.12.1990	MRJ	2025
13	15	120640012	श्री अनूप कुमार सिंह	स्व. सुरेश कुमार सिंह	08.08.1990	COMM. VNS	2025
14	16	120570025	श्री शिवजी ठाकुर	श्री शिवधारी ठाकुर	20.07.1989	COMM. VNS	2025
15	17	120630024	कुमारी पूनम सिंह	स्व. श्री इन्द्रपाल सिंह	25.07.1989	33 BN	2025
16	18	122380019	श्री संजीव पाण्डेय	स्व. श्री प्रकाश पाण्डेय	12.09.1989	AZH	2025
17	19	122520051	श्री संजीव सिंह यादव	मारकण्डे सिंह यादव	27.03.1983	42 BN	2025
18	20	122760019	श्री महेन्द्राशीष मिश्र	स्व. महेन्द्र नाथ मिश्र	10.02.1992	CID	2025
19	21	122610040	श्री कुलदीप यादव	स्व. दानबहादुर यादव	05.10.1993	DGP HQ	2025
20	22	120520046	श्री विक्रान्त यादव	श्रीराजेन्द्र सिंह यादव	05.07.1993	44 BN	2025

SI(GOPNIY) PRAMOTION ORDER 2025

21	23	120520033	श्री जगवीर सिंह	स्व. अनूप सिंह	01.09.1985	AIH	2025
22	24	122130050	श्री अविनाश प्रताप सिंह	स्व. रामदास सिंह	10.07.1984	KBN	2025
23	25	120750032	श्री योगेश कुमार	स्व. वीरपाल सिंह	07.05.1991	MTA	2025
24	26	122030187	श्रीमती बबिता दीक्षित	स्व.दिनेश चन्द्र दीक्षित	05.07.1984	DGP HQ	2025

3. पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों:-


- यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units- Police Hqs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment' पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

  
 (अखिलेश कुमार चौरसिया)  
 पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना  
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर/गोरखपुर/आगरा, जोन।
- अपर पुलिस महानिदेशक, सीआईडी/पीएसी/पीटीएस जालौन/पुलिस अकादमी मुरादाबाद/रेलवे, उ0प्र0।
- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
- पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, कानपुर/देवीपाटन/गोरखपुर/आजमगढ़/अलीगढ़/बस्ती/आगरा, परिक्षेत्र।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, इटावा/गोण्डा/कुशीनगर/देवरिया/महाराजगंज/आजमगढ़/अलीगढ़/संतकबीरनगर/मथुरा, उ0प्र0।
- सेनानायक, 33वीं वाहिनी पीएसी/42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज/44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, उ0प्र0।
- पुलिस अधीक्षक, रेलवे गोरखपुर।

संख्या तथा दिनांक वही:-

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न सूची को पत्र के प्रस्तर-7 में अंकित पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

## स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ  
नियुक्ति स्थान-  
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।